राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(41) ग्राविवि/ग्रुप–5/सां./CMBPL closur/2018–19 जयपुर, दि. 05 अक्टूम्बर, 2018

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

प्रमुख सचिव महोदय, ग्राविं एवं पंराविं की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत प्रगतिरत/अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराये जाने एवं विवादित आवासों पर निर्णय हेतु दिनांक 4.10.2018 को सांय 4.00 बजे बैठक आहुत की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है :–

1. श्री जय पाल सिंह मेडतियां, अति. मुख्य अभि. एवं नोडल अधिकारी, PMAY-G
2. श्री आर.एस. मीना, वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
3. श्री आलोक कुमार जोशी, क्षेत्रीय प्रमुख हडको, जयपुर।
4. श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग।
5. श्री हुकम सिंह मीना, लेखाधिकारी, ग्रामीण विकास।
6. श्री सुधीर कुमार भटनागर, संयुक्त महा प्रबन्धक, हडको, जयपुर।

बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत प्रगतिरत/अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि 43591 आवास प्रगतिरत /अपूर्ण है, जिनमें से 1672 आवास निरस्त /वसूली उपरान्त 41919 आवास अपूर्ण है एवं लाभार्थियो की मृत्यु वारिस नहीं, स्थाई पलायन, वसूली की कार्यवाही आदि कारणों से कुल 10477 आवास अपूर्ण/बंद है। उक्त के अतिरिक्त शेष 31442 आवास प्रगतिरत/अपूर्ण है जिन्हे विभागीय पत्र दिनांक 31.8.18 द्वारा जिलो को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है। क्षेत्रीय प्रमुख हडको द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत जिला परिषदों द्वारा हडको से लिये जाने वाले 80 प्रोजेक्ट हेतु संशोधित स्वीकृत ऋण राशि 3574.659 करोड में से राशि रूपये 3572.971 करोड रूपये जारी किये जा चुके है। अब मात्र राशि रूपये 1.688 करोड जारी किया जाना शेष है। एजेण्डा बिन्दुवार चर्चा उपरान्त बैठक में निम्न निर्णय /निर्देश दिये गये :–

1. योजनान्तर्गत लाभार्थियो की मृत्यु वारिस नहीं, स्थाई पलायन, वसूली हेतु एफ.आई.आर आदि के कारण 10477 आवास पूर्ण नहीं हो सकने वाले आवासो को वर्तमान निर्माण स्तर पर ही जारी अनुदान राशि तक ही "as it is closed" माना जा कर निस्तारित कराने बाबत विभागीय प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत किया जावे।
2. योजनान्तर्गत जिला परिषदो को हडको द्वारा प्रोजेक्टवार जारी राशि एवं प्राप्त ब्याज की राशि में से अब तक व्यय राशि एवं प्रगतिरत अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक राशि के साथ – साथ विवादित / बंद पडे आवासो पर व्यय राशि की सूचना जिलो से प्राप्त कर वस्तुस्थिति आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत की जावे।
3. अधिकांश जिला परिषदो द्वारा हडको से राशि अवमुक्त करा ली गई है, अतः हडको से बकाया ऋण की राशि 1.688 करोड Curtailed (कटौती) कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी जिले के पास आवास पूर्ण कराने हेतु राशि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो अन्य जिलो में उपलब्ध अवशेष राशि अथवा राज्य वित्त आयोग मद में आवास अनुमत गतिविधि से उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जावे।
4. जिलो को सीएम बीपीएल के खाते के संबंध में, पूर्णता रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित प्रगति हडको को प्रेषित कराने हेतु जिलो को पुनः आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जयपाल सिंह मेडतियां)
राज्य नोडल अधिकारी (PMAYG)

एफ 27(41) ग्राविवि / ग्रुप–5 / सां. / CMBPL closur / 2018–19 जयपुर, दि. 05 अक्टूम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3 क्षैत्रीय प्रमुख, हडको जयपुर।
4 राज्य नोडल अधिकारी, पीएमएवाई–जी (अति0 मुख्य अभियंता), ग्राविं।
5 वित्तीय सलाहकार, ग्राविं / पंराविं।
6 अधीक्षण अभियन्ता, ग्राविं।
7 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

राज्य नोडल अधिकारी (PMAYG)